# प्राक्कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक 'राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन' नामक प्रकाशन प्रत्येक वर्ष तैयार करता है जिसमें राज्यों के वित्त से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। यह वार्षिक प्रकाशन वर्ष 1950-51 से नियमित रूप से तैयार किया जाता है। वर्ष 1998-99 तक यह अध्ययन आरबीआई मासिक बुलेटिन का एक अंग हुआ करता था लेकिन वर्ष 1999-2000 से इसे अलग प्रकाशन का रूप दे दिया गया है। इसमें राज्यों के वित्त की, समेकित स्तर पर तथा अलग-अलग राज्यों के स्तर पर, विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट में विश्लेषण, अभिमुखीकरण, विस्तार तथा स्वरूप की दृष्टि से समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है ताकि उसे अधिक समसामयिक बनाया जा सके। लेकिन इसका समग्र उद्देश्य राज्य सरकारों के वित्त पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली विभिन्न गतिविधियों तथा समस्याओं का विस्तृत और आलोचनात्मक आकलन प्रस्तुत करना रहा है। वर्ष 2005-06 से इस अध्ययन की विश्लेषणात्मक विषय-वस्तु में, मध्यावधिक परिदृश्य में राज्यों के वित्त के विशिष्ट पहलुओं को शामिल करते हुए 'थीम आधारित' विश्लेषण के संबंध में एक अलग खंड जोड़कर, और सुधार लाया गया है। पिछले पांच वर्षों में विशेष थीम आधारित अध्यायों में 'राज्य सरकारों की बकाया देयताएं', 'सामाजिक क्षेत्र का व्यय', 'राज्य सरकारों के राजकोषीय अंतरण', 'राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां प्रवृत्ति और संघटन' और 'राज्य सरकारों के व्यय: प्रवृत्ति और संघटन' से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में भी यही पद्धति अपनाई गई है जिसके विशेष थीम आधारित अध्याय में 'भारत में वित्त आयोग: एक आकलन' शामिल किया गया है।

इस अध्ययन में राज्यों के वित्त के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं :

- वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान राज्यों की वित्त संबंधी गतिविधियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी मंदी का प्रभाव परिलक्षित होता है। वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यों के वित्त में कुछ कमी आने के बावजूद राज्यों के समेकित राजस्व लेखाओं से अधिशेष की स्थिति अभिव्यक्त होती है, हालांकि यह 2007-08 की तुलना में कम है। लेकिन समष्टि आर्थिक मंदी का प्रभाव वर्ष 2009-10 में (संशोधित अनुमान) अधिक प्रखर था जब तीन वर्ष के अंतराल के बाद समेकित स्तर पर राजस्व घाटा पुन: देखने को मिला और सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक हो गया। वृद्धि की संभावनाओं में सुधार तथा राजकोषीय समेकन के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) में राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे में कमी आने का अनुमान है।
- वर्ष 2010-11 में (बजट अनुमान) राज्यों के वित्त में अधिक व्यापक सुधार अनुमानित है क्योंकि उम्मीद है कि अधिकांश राज्य वर्ष 2010-11 में अपने राजस्व लेखाओं में सुधार ला सकेंगे। राज्यों ने यह संकेत भी दिया है कि वे तेरहवें वित्त आयोग के सुझावों के अनुरूप राजकोषीय समेकन के मार्ग का अनुसरण करेंगे।
- वर्ष 2010-11 में राजस्व लेखे में सुधार मुख्यत: राजस्व व्यय में कमी (सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में) के माध्यम से अनुमानित है।
- राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में कमी रह जाने और उसके परिणामस्वरूप बाजार से अधिक उधार लिए जाने के बावजूद वर्ष 2009-10 में राज्यों के समग्र ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 25.0 प्रतिशत थे जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित लक्ष्य के भीतर रहे। उम्मीद है कि वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) में ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और कम होगा।

राज्य वित्त में विभिन्न गतिविधियों की प्रस्तुति के अलावा इस अध्ययन में राज्यों के लिए राजकोषीय कार्यक्रम, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभाव, माल और सेवा कर के प्रस्तावित आरंभ, व्यय की गुणवत्ता, राज्यों के नकदी शेष की स्थिति, राज्यों के बजटों में प्रकटीकरण और प्रसार तथा राज्य वित्त आयोगों का सुदृढ़ीकरण जैसे विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी विचार किया गया है।

वित्त आयोगों के आकलन के संबंध में थीम आधारित अध्याय में यह संकेत किया गया है कि वित्त आयोगों का कार्यक्षेत्र कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात तय करने और सहायता अनुदान संबंधी सिद्धांतों के निर्धारण के संवैधानिक दायित्व से भी आगे बढ़ चुका है। वित्त आयोगों को राज्य सरकार के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अन्य विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण तथा उनके संबंध में अनुशंसा देने का काम भी सौंप दिया गया है। पिछले कुछ समय से, स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए राज्य समेकन निधियों की मात्रा बढ़ाए जाने तथा राज्यों के ऋणों की स्थिति की भी वित्त आयोग जांच करते रहे हैं। अनुशंसित और बेंचमार्क (समकरण के सिद्धांत का प्रयोग करके) अंतरणों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि ग्यारहवें वित्त आयोग के मामले में समकरण का घटक सबसे अधिक था क्योंकि अनुशंसित और बेंचमार्क अंतरणों के बीच का अंतर उस अवधि में सबसे कम था।

यह अध्ययन श्री दीपक मोहन्ती, कार्यपालक निदेशक के समग्र निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग में श्रीमती बलबीर कौर, परामर्शदाता के दिशानिर्देश और पर्यवेक्षण के अधीन श्री धृतिद्युति बोस (निदेशक), श्री राजीव जैन (सहायक परामर्शदाता) और श्री डी.के. राउत तथा श्री प्रभात कुमार (अनुसंधान अधिकारी) की टीम द्वारा तैयार किया गया है। अध्ययन के प्रारंभिक चरण में उक्त टीम को श्री बी.एम. मिश्रा (परामर्शदाता) से भी बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और अध्ययन का काम श्रीमती आर.कौशल्या (निदेशक) ने शुरू किया था। श्री पी.पी. जोशी, श्री बी.ए. रणखांबे, श्री ए.के. धरमपाल, श्री टी.आर. मुरलीधरन और श्रीमती ई.फर्नांडिस ने आंकड़ों के समेकन में सहायता प्रदान की।

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अध्ययन के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए। भारतीय रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग ने भी इस काम में सहायता प्रदान की। इस अध्ययन के लिए राज्य सरकारों के वित्त विभागों से भी सहयोग प्राप्त हुआ तथा जानकारियां मिलीं। इस अध्ययन में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय से भी बहुमूल्य तकनीकी जानकारियां प्राप्त हुईं।

वर्ष 2001-02 से प्रारंभ करके इस तरह के संबंधित अध्ययन रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध हैं। उक्त अध्ययन के पिछले अंक (1950-51 से) रिज़र्व बैंक के मुंबई स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आपकी प्रतिक्रियाओं / आप के सुझावों का स्वागत है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं / अपने सुझाव निदेशक, राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001 को डाक से या ई-मेल से deprfad@rbi.org.in पर भेजें।

**सुबीर गोकर्ण**
उप गवर्नर

30 मार्च 2011